न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी	–	नरेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
	–	सहायक कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नम्बर	–	408 / 2021, 2022 / 709
दर्ज दिनांक :–	–	24.12.2021

1. कजोड पुत्र हजारी जाति मीना उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

– वादी

बनाम्

1. प्रहलाद
2. हरकेश

} पिसरान जयनारायण जाति मीना निवासी ग्राम खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

3. रामकन्या पुत्री जयनारायण पत्नि अमरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम छोटी उदेई तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

4. गुडडी पुत्री जयनारायण पत्नी हेमराज मीना जाति मीना निवासी ग्राम खुर्रा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

5. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राजस्थान

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री राकेश शर्मा — अधिवक्ता वादी

श्री अरूण गौड — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादविभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955)

निर्णय

दिनांक 02-01-2024

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी कजोड पुत्र हजारी मीना निवासी खानपुर तहसील लालसोट द्वारा एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम खानपुर तहसील लालसोट स्थित आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 11 रकबा 5.8500 हैक्ट0 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 49 रकबा 2.5900 हैक्ट0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 207 रकबा 1.1800 हैक्ट0 कुल किता 9 कल रकबा 9.6800 हैक्ट0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 है। जिसे वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जा रहो है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षो की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका उभयपक्षो द्वारा मौके पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आपसी सहमति से बहामी तौर पर विभाजन कर रखा है तथा अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि उभय पक्षो की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित [illegible] जिसका अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। इस का[illegible] ने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाकर अलग—अलग खाते कायम क[illegible]न का निर्धारण करावे तथा अविभाजित आराजी के विधि[illegible] की हस्तान्तरण करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर
लालसोट जिला—दौसा (राज०)

प्रतिवादीगण को प्रतिबन्धित करावे। वादी का कथन है कि आराजी वादग्रस्त के वादी के हिस्से को वादी ने काफी मेहनत व रूप्या पैसा लगाकर समतल एवं उपजाउ बनाया है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकानात् इत्यादि बनाकर रह रहा है। तथा वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर कुए, बोरिंग आदि करवा रखे है। आये दिन वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य वादग्रस्त आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखल-अंदाजी करते रहते है जिससे आये दिन लडाई झगडा होता है। अतः वादग्रस्त आराजीयात् का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मौके अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर अलग-अलग खसरो एवम लगान का निर्धारण किया जावे साथ नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार की ओर से वकील श्री अरूण गौड उपस्थित आये तथा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवाई गई। दिनांक 23.06.2022 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति पर वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार लालसोट को मुताबिक निर्णय एवम् डिक्री विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार लालसोट से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षो को कुर्रेजात पर आपत्ति हेतु नियत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कुर्रेजात पर आपत्ति पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई तथा नकल अधिवक्ता वादी को दिलवाई जाकर आपत्ति का जवाब तलब किया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 08.12.2022 को जवाब पेश किया गया जो पत्रावली में शामिल किया गया तथा नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवाई। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति कुर्रेजात हेतु नियत की गई। दिनांक 13.12.2023 को उभय पक्षो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी आपत्ति के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क पेश किये कि न्यायालय के आदेश दिनांक 23.06.2022 की पालना तहसीलदार लालसोट द्वारा नियमानुसार नहीं की गई है। क्योकि ना तो तहसीलदार स्वयं मौके पर गये है ना ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को इस बाबत सूचना दी गई। केवल पटवारी एवं गिरदावर द्वारा तैयार [illegible] प्रस्ताव तैयार किये गये है जिस पर केवल वादी के हस्ताक्षर है [illegible] मिलकर अनाधिकृत रूप से तैयार किये है। उक्त विभाजन योजना में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादी का यह भी पालना नहीं की गई है। आपत्ति के संबंध में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

कहना है कि खसरा नम्बर 11 के पश्चिमी हिस्से पर आपतिकर्ता प्रतिवादीगण का कब्जा था जिस पर पुख्ता कुआ बनवा कर विधुत कनेक्शन भी ले रखा है। अब विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 11 में से 11/1 नया खसरा वादी के हिस्से में प्रस्तावित किया है जिसमें उक्त कुऐ को भी शामिल किया है। तथा 11/2 पूर्वी भाग प्रतिवादीगण के नाम दिखाया है जो मौके की स्थिति के विपरित है। उसी प्रकार खसरा नम्बर 207 जिसमें खसरा नम्बर 206 भी शामलाती है, का आधा पश्चिमी भाग वादी के हिस्से व कब्जे में तथा आधा प्रतिवादीगण के कब्जे है। जबकि विभाजन योजना में खसरा नम्बर 207/2 वादी के पक्ष में तथा 207/1 प्रतिवादीगण के हिस्से में गलत अंकित किया है। विभाजन पूर्व पश्चिम नहीं होकर उत्तर दक्षिण मध्य रेखा के अनुसार वादी के हिस्से में पश्चिमी व प्रतिवादीगण के हिस्से में पूर्वी भाग है। साथ ही खसरा नम्बर 206 कूप वादी एवम् प्रतिवादीगण का शामलाती है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान् के कब्जे के विपरित व अवैध होने के तर्क देकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मॅगवाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विधुत बिलों की प्रतिया पेश की है।

वकील वादी श्री राकेश शर्मा ने विद्वान वकील प्रतिवादी की बहस का खण्डन करते हुए अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उभय पक्षो की आपसी सहमति से ही प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री फमराया है। न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से कुर्रेजात तैयार किये है। विभाजन प्रस्तावे हेतु उभय पक्षो को सूचना दी गई थी। तब जाकर राजस्व टीम द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है जिन पर वादी ने हस्ताक्षर किये है तथा प्रतिवादगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया है। उभयपक्षो को विभाजन प्रस्ताव मौके पर पढकर सुनाया गया है। खसरा नम्बर 11 में वादी एवम प्रतिवादीगण के दो नलकूप है। खसरा नम्बर 9 में वादी का स्वयं का बोरिंग है तथा खसरा नम्बर 10 में बोरिंग प्रहलाद बगैरह का है। इस प्रकार उभय पक्षो द्वारा अपने अपने बोरिंग पर विधुत कनेक्शन ले रखा है इस तथ्य की पुष्टि के लिए वकील वादी ने विधुत कनेक्शन का बिल पेश किये जो हजारी के नाम है। खसरा नम्बर 206 व 207 के संबंध में वकील वादी के कथन है कि खसरा नम्बर 206 गैर मुमकिन चाह राजस्व रिकॉर्ड [illegible] है परन्तु मौके पर कोई गैर मुमकिन चाह नहीं है। एवम् 207 [illegible] सम्मिलित है। खसरा नम्बर 207 के पश्चिमी व उत्तरी भाग [illegible] हिस्से [illegible] रास्ता अंकित है जिसे हडपने व [illegible] को गलत होना दर्शाकर यह अपने कलुषित उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

आपत्ति पेश की है जो निराधार होने के कारण काबिले ,खारिज है। अतः आपत्ति निरस्त फरमाकर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् , आपत्ति प्रार्थना पत्र, जवाब, कुर्रेजात रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्व अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में प्राप्त हुए है जिन पर पक्षकारों की उपस्थिति में मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानो को पढकर सुनाये जाने व हस्ताक्षर करवाये जाने का अंकन है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी के हस्ताक्षर मौजूद है तथा उपस्थित पक्षकारों के भी हस्ताक्षर करवाये गये है। कजोड मल मीना ने मौके पर हस्ताक्षर किये है तथा प्रहलाद हरकेश पुत्र जयनारायण मीना प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्रत्येक खसरा नम्बर में से हिस्से अनुसार हितबद्ध खातेदार का विधिवत हिस्सा कायम किया गया है जिसमें भी कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होती है। अन्य सभी खसरा नम्बरान् में किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नहीं जताया है जिससे विभाजन प्रस्ताव त्रुटीपूर्ण होने की आशंका नहीं उठती। जिस खसरा नम्बर की प्रार्थी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि विभाजन प्रस्ताव प्रार्थी के कब्जे–अनुसार नहीं बनाये गये है इस तथ्य की पुष्टि के लिए ऐसा कोई साक्ष्य,सबूत पेश नहीं किया जिससे यह तथ्य साबित होते हों। प्रस्ताव में एक तरफ वादी को तो दूसरी तरफ प्रतिवादियो को हिस्सा दिया गया है जिसमें रास्ते सम्बन्धित कोई विवाद प्रकट नहीं हुआ है ना सरस नरस सम्बन्धित आपत्ति जताई है। इस प्रकार उक्त विवचनों एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार साबित पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आपत्ति कुर्रेजात अस्वीकार योग्य तथा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाये जाते है।

हम उभय पक्षो की बहस एवं विभाजन प्रस्ताव एवं उक्त विवेचनों से सन्तुष्ट होने पर यह वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादीगण अन्तिम रूप से निर्णय व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 11 रकबा 5.8500 हैक्ट0 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा नम्बर 48 रकबा [illegible] रकबा 2.5900 हैक्ट0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.0100 हैक्ट0, खसरा [illegible] रकबा 1.1800 हैक्ट0 कुल किता 9 कल रकबा 9.6800 है[illegible] ग्राम खानपु[illegible] तहसील लालसोट का विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश [illegible] तहसीलदार लालसोट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्णय की राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद पालना करना सुनिश्चित करे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का पार्ट रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभयपक्षो की मौजूदगी में आज दिनांक 02-01-2024 को सरे इजलास सुनाया।

नरेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर
लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested